| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2013/0090 | तामील |
|---|---|---|
| 15/2/18 | पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 5/4/18 को पेश हो। | |
| 5/4/18 | पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 26/4/18 को पेश हो। पुनश्च पत्रावली दि० 9/5/18 को केम्प चोमा मालियान मे पेश हो। | |
| 9/5/18 | पत्रावली लोक अदालत केम्प चोमा मालियान में पेश हुई। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट नं0 2 मजमें आम में उपस्थित। उभयपक्ष को अपील के सम्बन्ध में सुना गया। अपीलाण्ट ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चोमा मालियान द्वारा पारित आदेश इंतकाल नं0 569 दिनांक 20.12.2012 अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है तथा बिना जांच किये उक्त आदेश पारित किया गयां है। अतः इंतकाल नं0 569 दिनांक 20.12.2012 को पारित आदेश निरस्त फरमाया जावें। इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट नं0 2 ने कथन किये कि उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त इंतकाल दर्ज किया गया है। अतः अपील खारिज की जावें। | रेस्पो० शान्ते बा० |
| अपीलान्ट | उभयपक्ष को मजमें आम में सुना जानें के बाद। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपील के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम चोमा कोट के इन्तकाल नम्बर 569 दिनॉक 20.12.2012 के खिलाफ यह अपील मेमो प्रस्तुत किया गया। उक्त इन्तकाल के जरिये ग्राम चोमाकोट के आराजी खसरा नम्बर 312, 347, 357, 358, 442, 453, 660, 662, 668, 669, 670, 774 कुल किता 12 रकबा 10.41 हैक्टर में से रामकल्याण का हिस्सा रेस्पो0 न0 1 व 2 के पक्ष में दर्ज किया गया है। | |
| | इन्तकाल नम्बर 569 जो कि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दर्ज किया गया है पर भू0अभि0 निरीक्षक की रिपोर्ट अंकित है उक्त रिपोर्ट में मात्र मुताबिक वसीयत अंकन सही होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि नामान्तरकरण नम्बर 569 दिनॉक 20.12.2012 पर आदेश पारित करते समय उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस क्रम में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि उन्हें | |

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>2013/अपील 90 | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| कल्याण द्वारा रेस्पोडेण्ट नं0 1 व 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत आलेखित की गई है, उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही इंतकाल नं0 569 पर आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।<br>अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक् विवेचन करने के उपरान्त हम यह पाते हैं अपील अपीलान्ट में अंकित कथनों को अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। अपील अपीलान्ट सारहीन एवं बलहीन होने से काबिल खारिज़ है।<br>अतः अपील अपीलान्ट खारिज़ की जाती है। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश आज मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया । | |